न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल.आर.गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 08/2018 अपील

श्री छोटुराम पिता नाना बलाई निवासी मायला पोलिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा –अपीलार्थी	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर –रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार जहाजपुर बमामले प्रकरण सं0 399/2017 निर्णय दिनांक 10.10.2017

उपस्थित –

श्री मनीष कुमार अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से

श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 24.04.2018

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार जहाजपुर बमामले प्रकरण सं0 399/2017 निर्णय दिनांक 10.10.2017 के खिलाफ दिनांक 23.01.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का अमरवासी तहसील जहाजपुर द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट पेश की थी जिसमें बताया गया कि अपीलार्थी अतिचारी द्वारा ग्राम मायला पोलिया के चारागाह आराजी नम्बर 1423/18 रकबा 3.00 बीघा भूमि पर अवैध तरीके से पड़त डालकर अतिक्रमण कर फसल काश्त किया गया । अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही फरमाई जावे। उक्त आशय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध नोटिस जारी कर दिनांक 10.10.2017 को निर्णय पारित कर दिया जो तथ्यों व विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं । अपीलार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वतंत्र

व्यक्तियों के बयान लेखबद्ध नहीं किये मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर ही उक्त निर्णय पारित कर दिया । अपीलार्थी का उक्त विवादित भूमि पर कब्जा नहीं हैं व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके व कब्जे की जांच भी नहीं की गयी । अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.10.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कब्जा छोड़ देने का कथन कर देने के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया । अपीलार्थी गरीब व्यक्ति होकर कृषक व्यक्ति हैं। कृषि ही अपीलार्थी और उसके परिवारजन का जिविकोपार्जन का साधन हैं। अपीलार्थी को दिनांक 10.10.2017 को पारित निर्णय की जानकारी दिनांक 10.01.2018 को गिरफ्तार करने पर जानकारी हुयी व अपीलार्थी द्वारा नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया व दिनांक 12.01.2018 को नकलें प्राप्त हुई व वक्त जानकारी से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं। अतः निवेदन हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.10.2017 को अपास्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 02.02.2018 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड़ तलब किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वतंत्र व्यक्तियों के बयान लेखबद्ध नहीं किये मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर ही उक्त निर्णय पारित कर दिया । अपीलार्थी का उक्त विवादित भूमि पर कब्जा नहीं हैं व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके व कब्जे की जांच भी नहीं की गयी । अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.10.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कब्जा छोड़ देने का कथन कर देने के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया । अपीलार्थी गरीब व्यक्ति होकर कृषक व्यक्ति हैं। कृषि ही अपीलार्थी और उसके परिवारजन का जिविकोपार्जन का साधन हैं। अपीलार्थी ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मायला पालिया की आराजी सं. 1423/18 रकबा 3.00 बीघा भूमि से कब्जा हटा लिया हैं तथा वर्तमान में कब्जा नहीं हैं, न भविष्य में कब्जा करूंगा। निवेदन हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.10.2017 को अपास्त

फरमाया जावे। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील के समर्थन में विधिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2009 तेजा / सरकार , आर.आर.टी. 2003 (1) प्रहलाद / सरकार , आर.आर.टी. 2014 (1) इब्राहिम / सरकार , आर.आर.टी. 2011 (2) लादु / सरकार प्रस्तुत किये।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि श्री छोटुराम पिता नाना बलाई निवासी मायला पोलिया के द्वारा ग्राम मायला पोलिया के आराजी नं. 1423/18 रकबा 150.14 बीघा भूमि किस्म चरागाह में से 3.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार जहाजपुर द्वारा प्रकरण सं. 399/2017 दर्ज कर धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर छोटुराम पिता नाना बलाई द्वारा पश्चातवर्ती अतिचार करने के कारण 15 दिवस के सिविल कारावास एवं शास्ति 150/–रू. से दिनांक 10.10.2017 को दण्डित किया गया है जो नियमानुसार है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर का निर्णय यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम मायला पोलिया तहसील जहाजपुर के आराजी नं. 1423/18 रकबा 150.14 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में किस्म चरागाह दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार जहाजपुर के निर्णय अनुसार अतिक्रमी का उक्त आराजी नं. 1423/18 में रकबा 3.00 बीघा भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने से 15 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया हैं एवं 150/– शास्ति आरोपित की गयी । उक्त आराजी किस्म चरागाह भूमि है। अतिक्रमी की देखा देखी कर अन्य व्यक्ति भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के प्रयासरत है ।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आराजी नं0 1423/18 रकबा 3.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण से बेदखल किये जाने के साथ साथ 15 दिवस के सिविल कारावास की सजा भुगताए जाने व उक्त भूमि के वार्षिक लगान का 50 गुणा आर्थिक जुर्माना कुल 150/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश भी पारित किया गया था। नियत पेशी दिनांक को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी हुआ और उसके द्वारा विवादग्रस्त आराजी पर अपना अतिक्रमण भी स्वीकार किया है। जिससे स्पष्ट हैं कि अपीलान्ट के द्वारा उक्त चरनोट भूमि पर अनाधिकृत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमण

करने का अपराध किया है।

ग्राम मायला पोलिया तहसील जहाजपुर के आराजी नं. 1423/18 किस्म चरागाह पर अपीलार्थी का अतिक्रमण होने से राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत उक्त श्रेणी की भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में होने से अपीलार्थी को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश से दण्डित करते हुए शास्ति का आरोपण किया जाकर 15 दिवस के सिविल कारावास की सजा से व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का जो आदेश पारित किया गया हैं वह युक्तियुक्त होकर विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसमे कोई त्रुटि नहीं की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाने योग्य हैं एवं अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश तहसीलदार जहाजपुर बमामले प्रकरण सं0 399/2017 निर्णय दिनांक 10.10.2017 के क्रम में खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.10.2017 यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड़ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/4/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)